KOLHAN UNIVERSITY
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
Jharkhand. Pin : 833201
Phone No. 06582-255274

Ref. No: KU/R/..1300../19 Date: ..11-11-19

NOTIFICATION

In light of the letter from the department of HTE & SD, Govt. of Jharkhand, Ranchi, bearing no.- 943 dated 10/05/19 and in pursuance of the resolution adopted in the 49th meeting of the Syndicate held on 30/08/19, vide Agenda no.- Syn. 24/19 the Vice-Chancellor has been pleased to grant approval on the implementation of reservation policy in admission, in Colleges.

By order of the Vice-Chancellor
Sd/-
Registrar
Kolhan University, Chaibasa

Memo No: KU/R/..1300../19 Dated:..11../..11../..19

Encl.: - Copy of HTE & SD letter no. 943 dated 10/05/19.

Copy to:

1. Principal/Prof.-In-Charge of all constituent & affiliated College under Kolhan University, Chaibasa.
2. Heads of all University Departments under Kolhan University, Chaibasa.
3. Controller of Examination, Kolhan University, Chaibasa.
4. In file.

11.11.19
Registrar
Kolhan University, Chaibasa

R:OFFICE/DOCUMENT/A.SINKU/OCT. 2019

Scanned by CamScanner

15

पत्रांकः 02/वि01-12/2019-943

झारखंड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची -834002

CRD/DR-I/DSW

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिदो-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू,
डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची।

29.7.19
for Record & Circulate to all Colleges
31/7/19

राँची, दिनांक : 10/05/2019

विषय :- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान के संबंध में।

प्रसंग :- मानव संसाधन विकास विभाग का पत्रांक-F. No. 12-4/2019-U1, दिनांक 17.01.2019 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1434, दिनांक 15.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगाधीन पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

K-3680
29/7/19
DRI-917/19
30/7/19

विश्वासभाजन
24/5/19
(दिनेश प्रसाद)
निदेशक

अनुलग्नक :- यथोक्त।

Kolhan University, Chaibasa

Ref. No. .... **Date :** ....

प्रतिलिपि : कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अधीन सभी अंगीभूत/सम्वद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्र0 प्राचार्य को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।
1/8/19

E//DNR/Letter/SKS 37

Scanned by CamScanner

7 14

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हों, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय–समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

Scanned by CamScanner

वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा; यथा :–

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	–	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	–	60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	–	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	–	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)–		10 प्रतिशत
		कुल	60 प्रतिशत

7. **नामांकन में आरक्षण का विनियमन:–**

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय–समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :–

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ०नी०–04–02 / 2019 का०– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–02/2019 का॰– 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–02/2019 का॰– 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner

F No: 12-4/2019-U1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 17th January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) for admission in Central Educational Institutions.

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, it has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten per cent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institutions, (as defined in clause (d) of section (2) of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.

b) The above reservation would not be applicable to the 8 institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.

c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of

Scanned by CamScanner

(2)

study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.

e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

4. This issues with the approval of the Minister for Human Resource Development.

Encl: As above

स्मिता 17/1/19

(Smita Srivastava)
Director

1. **Chairman UGC**
2. **Chairman AICTE**
3. **Chairperson NCTE**
4. **All Bureau Heads of Department of Higher Education**

Copy to:

Chief Secretaries of all State Governments/UTs: with a request to give effect to the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 for all higher educational Institutions funded/aided, directly or indirectly, by the State Government in such manner that the provision for reservation for EWS would become operational from the academic year 2019-20.

Scanned by CamScanner

①

Appendix

SCHEDULE

(The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006)

S.No.	Names of the Institutions of Excellence, etc.
1.	Homi Bhabha National Institute, Mumbai and its constituent units, namely:-
	(i) Bhabha Atomic Research Centre, Trombay;
	(ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam;
	(iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore;
	(iv) Institute for Plasma Research, Gandhinagar;
	(v) Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata;
	(vi) Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata;
	(vii) Institute of Physics, Bhubaneshwar;
	(viii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai;
	(ix) Harish-Chandra Research Institute, Allahabad;
	(x) Tata Memorial Centre, Mumbai.
2.	Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
3.	North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Shillong.
4.	National Brain Research Centre, Manesar, Gurgaon.
5.	Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
6.	Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
7.	Space Physics Laboratory, Thiruvananthapuram.
8.	Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun.

17/1/19

Scanned by CamScanner